UPBN240001232004

Warrant case/102164/2004 (Delivered on 12-05-2026)

Presented on : 19-01-2004
Registered on : 19-01-2004
Decided on : 12-05-2026
Duration : 22 years, 3 months, 24 days

न्यायालयः:न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहसवान,जनपद-बदायूँ।

पीठासीन अधिकारीः:हरेन्द्र सिंह,(उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा),(J.O.Code.3676)

आपराधिक वाद संख्याः:2164/2004

उत्तर प्रदेश सरकार

.....वादी

1- सौदान पुत्र लाखन सिंह,
निवासी-ग्राम भवानीपुर मझरा खण्डुआ, थाना उघैती, जिला बदायूँ।
2- सरवर अली पुत्र अफसर हुसैन,
निवासी-मौहल्ला खलीफा, थाना सहसवान, जिला बदायूँ।
3- बुनियाद हुसैन पुत्र मेंहदी हसन,
निवासी-मौहल्ला सैफुल्लागंज, थाना-सहसवान, जिला-बदायूँ।

.....अभियुक्तगण

मुकदमा अपराध संख्या-26/1995
अंतर्गत धारा-147, 353, 225-B भारतीय दण्ड संहिता।
अंतर्गत क्षेत्र थाना-सहसवान, जनपद-बदायूँ।

अभियोजन पक्ष (विद्वान अभियोजन अधिकारी)-श्री प्रदीप कुमार सिंघल।
अभियुक्ता विद्वान अधिवक्ताः श्री जितेन्द्र सिंह यादव सक्सेना।

निर्णय

1- पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण **सौदान पुत्र लाखन सिंह, सरवर अली पुत्र अफसर हुसैन, बुनियाद हुसैन पुत्र मेंहदी हसन** द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म संस्वीकृति प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर बल दिया व जुर्म संस्वीकृति की इच्छा व्यक्त की गयी। उनके जुर्म संस्वीकृति बयान अंकित किये गये। उन्होंने जुर्म संस्वीकृति का अभिकथन किया।

2- अभियोजन पक्ष को सुना।

3- अतः अभियुक्तगण को **अंतर्गत धारा-147, 353, 225-B भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप में दोषसिद्ध पाया जाता है। दोषसिद्ध अभिरक्षा में है। उन्हें सजा के प्रश्न पर लंच उपरान्त सुना जायेगा। **पत्रावली लंच उपरान्त पेश हो।**

दिनांकः12-05-2026

(हरेन्द्र सिंह),
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सहसवान, जनपद-बदायूँ।
J.O.Code.UP.3676

लंच बाद

4- पत्रावली पुनः लंच उपरान्त पेश हुई। दोषसिद्धों को दण्ड के प्रश्न पर सुना

गया। उनका कहना है कि वह अत्यंत गरीब हैं तथा उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हैं।

5- मैंने दोषसिद्धों को दण्ड के प्रश्न पर सुन लिया है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में दोषसिद्धों के विरूद्ध निम्नवत दण्डादेश पारित किया जाना न्यायोचित पाता हूँ।

आदेश

प्रत्येक दोषसिद्ध **सौदान पुत्र लाखन सिंह, सरवर अली पुत्र अफसर हुसैन, बुनियाद हुसैन पुत्र मेंहदी हसन** को **अंतर्गत धारा-147, 353, 225-B भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप का दोषसिद्ध पाते हुए **उसे धारा-147 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अंकन 100/-रूपये अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में दो दिवस का साधारण कारावास, धारा-353 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अंकन 200/-रूपये अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में दो दिवस का कारावास, धारा-225-B भारतीय दण्ड संहिता के तहत अंकन 200/-रूपये अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में दो दिवस का कारावास (कुल अंकन-1500/-रूपये)** के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

दिनांक:12-05-2026

(हरेन्द्र सिंह),
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सहसवान, जनपद-बदायूँ।
(J.O.CODE.UP3676)

उपर्युक्त निर्णय, आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में अभियुक्तगण को सुनाया गया। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक:12-05-2026

(हरेन्द्र सिंह),
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सहसवान, जनपद-बदायूँ।
(J.O.CODE.UP3676)

Transcribed on :A. Ali.